न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 59/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना करधनी

बनाम

1. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रामकिशोर निवासी रतावली फ्रेंड्स कॉलोनी जिला ईटावा यूपी हाल चालक टैंकर नम्बर एचआर38–यू–5388 (7060796552)।
2. श्री गोलुपाल पुत्र श्री पातीराम निवासी तरवरु थाना खुर्रा जिला मैनपुरी यूपी हाल खलासी टैंकर नम्बर एचआर38–यू–5388 (7668729483)।
3. श्री योगश कुमार पुत्र श्री रामतिर्थ निवासी सुरखी पुर थाना अजीतमल जिला औरया यूपी हाल चालक टैंकर नम्बर एचआर63–सी–8539
4. श्री दिनेश पुत्र श्री मनु सिंह निवासी मोहल्ला अतरपुरा थाना बुजरोहा जिला अमरोहा यूपी हाल चालक टैंकर नम्बर एचआर63–सी–0401
5. श्री जतिन्द्र सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह निवासी पटाला थाना अलीवाल जिला गुरदासपुर पंजाब हाल चालक टैंकर नम्बर आरजे09–जीबी–5035
6. श्री लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुबासिंह निवासी खजाला जिला गुरदासपुर पंजाब हाल द्वितीय चालक टैंकर नम्बर आरजे09–जीबी–5035
7. श्री गुलजार मोहम्मद पुत्र श्री नियाज अली निवासी खजाला जिला गुरदासपुर पंजाब हाल द्वितीय चालक टैंकर नम्बर आरजे09–जीबी–5035

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate ● JAIPUR ●

4. निर्णय दिनांक : 11/02/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना करधनी, जिला जयपुर शहर(पश्चिम) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 03.03.2019 को मुखबीर द्वारा सूचना दी गयी कि श्री रामदेव होटल एनएच 8 बगरु रावान कट औलख ढाबे के पास होटल के पीछे बने आड में केमिकल्स व पैट्रोलियम पदार्थो का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी भांकरोटा के साथ मय जाप्ते के मौके पर पंहुचे। मौके पर प्रवर्तन अधिकारी सांगानेर भी उपस्थित हो गये। उक्त स्थल पर 4 टैंकर खडे मिले। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तरल पदार्थ भरते हुये मिले। इन्होंने पूछताछ में उक्त टैंकरों में बैस ऑयल होना बताया और बताया कि गुजरात से भरकर दिल्ली की ओर रवाना हुये थे व रास्ते में इस होटल पर केशर सिंह को बेचते हैं जो कि जाप्ते को देखकर भाग गया। केशर सिंह के साथ ही भैंरों सिंह, अल्ताफ शेख तथा कालूसिंह व अन्य चार–पांच लोग मिलकर टैंकरों से बैस ऑयल खरीद कर उच्च दामों पर बेचते हैं। अन्य दो टैंकरों के साथ में दिनेश, जतिन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह गुलजार मोहम्मद उपस्थित मिले और अपने टैंकर में काला तेल होना बताया और बताया कि दहेज गुजरात से गाजियाबाद यूपी के लिये लेकर जा रहे थे तथा उक्त स्थल पर केशर सिंह को बेचने के लिये रुके थे। उक्त चारों टैंकरों, ड्रमों व लोहे के केनों में पैट्रोलियम पदार्थ(सन्दिग्ध मिलावटी) भरे हुये थे। उक्त टैंकरों व बिल्टी बिलों को चैक करने पर टैंकर नम्बर एचआर63–सी–8539 में करीब 30 हजार

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

लीटर, एचआर38–यू–5388 में करीब 28 हजार लीटर, एचआर63–सी–0401 में करीब 28 हजार लीटर व आरजे09–जीबी–5035 में करीब 34 हजार लीटर पेट्रोलियम उत्पाद मिला। उक्त सन्दिग्ध मिलावटी पैट्रोलियम उत्पाद जिसका अवैध खरीद बेचान हेतु विपतन किया जाना प्रथम दृष्ट्या पाया गया। ऐसी स्थिति में मौके से 4 टैंकर (टेंकर नम्बर एचआर–63–सी–8539, एचआर–38–यू–5388, एचआर–63–सी–0401, आरजे–09–जीबी–5035) मय भरे हुय लगभग 1 लाख 20 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, वाहनों से संबंधित बिल्टी व वाहनों के कागताज, 2 ड्रम प्लास्टिक निला जिसमें अलग–अलग प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ आधे भरे हुये थे, 2 लोहे के केन भरे हुये, एक गैज, एक चाबी लोहे की, लोहे के दो किमें, प्लास्टिक पाईप करीब एक मीटर लम्बा मय लोहे के सोकेट, हरे रंग का प्लास्टिक पाईप करीब 20 जि, दो प्लास्टिक व पांच लोहे के काली ड्रम, आरजे23–जेएस–0028 को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द जप्ती व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.03.2019 को श्री जगबीर सिंह ने स्वयं को टैंकर संख्या आरजे–09–जीबी–5035 व एचआर–63–सी–0401 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 09.04.2019 को क्रमशः रुपये 30,60,000/– तथा रुपये 20,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आरजे–09–जीबी–5035(खाली) व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–0401(खाली) के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 12.03.2019 को श्री कुलवन्त सिंह ने स्वयं को टैंकर संख्या एचआर–38–यू–5388 व एचआर–63–सी–8539 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 09.04.2019 को क्रमशः रुपये 15,00,000/– तथा रुपये 18,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या एचआर–38–यू–5388(खाली) व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–8539(खाली) के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। प्रार्थी जगबीर सिंह एवं कुलवन्त सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन नं. क्रमशः 510 व 511 निर्णय दिनांक 31.07.2019 प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिटों में प्रकरण में जब्त उत्पाद के अन्तरिम निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त किया। साथ ही जब्त माल के लिए रिट संख्या 510 व 511 में 10 लाख रुपये–10 लाख रुपये की सिक्योरिटी पर प्रार्थी को दिये जाने का आदेश दिया गया। जिसमें दिनांक 05.08.2019 को रुपये 10,00,000/– का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या एचआर–38–यू–5388 व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–8539 में भरे उत्पाद के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 05.08.2019 को रुपये 10,00,000/– का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आरजे–09–जीबी–5035 व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–0401 में भरे उत्पाद के मोचन आदेश (रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 09.06.2022 को श्री दौलत सिंह की ओर से स्वयं को गाडी संख्या आरजे–23–जीएस–0028 का मालिक बताते हुये वाहन को सुपुर्दगीनामे पर रिलीज करने का निवेदन किया। परन्तु उसके उपरान्त दौलत सिंह की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। पूर्व में शेष अप्रार्थीगण को रजि0 नोटिस भिजवाये गये थे। एक माह उपरान्त भी वापस प्राप्त नहीं हुये। दिनांक 05.12.2024 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 उपस्थित हुए पत्रावली पर उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये परन्तु उसके बाद वे भी उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद कोई भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 11/02/2025 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 03.03.2019 को मुखबीर की सूचना पर श्री रामदेव होटल एनएच 8 बगरु रावान कट औलख ढाबे के पास होटल के पीछे बने आड में केमिकल्स व पैट्रोलियम पदार्थों का अवैध कारोबार किये जाने की शिकायत पर पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन व अन्य संबंधित सामानों को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तरल पदार्थ भरते हुये मिले। इन्होंने पूछताछ में उक्त टैंकरों में बैस ऑयल होना बताया और बताया कि गुजरात से भरकर दिल्ली की ओर रवाना हुये थे व रास्ते में इस होटल पर केशर सिंह को बेचते हैं जो कि जाप्ते को देखकर भाग गया। केशर सिंह के साथ अन्य चार–पांच लोग मिलकर टैंकरों से बैस ऑयल खरीद कर उच्च दामों पर बेचते हैं। अन्य दो टैंकरों के साथ उपस्थित मिले लोगों ने अपने टैंकर में काला तेल होना बताया और बताया कि दहेज गुजरात से गाजियाबाद यूपी के लिये लेकर जा रहे थे तथा उक्त स्थल पर केशर सिंह को बेचने के लिये रुके थे। उक्त चारों टैंकरों, ड्रमों व लोहे के केनों में पैट्रोलियम पदार्थ (सन्दिग्ध मिलावटी) भरे हुये थे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त टैंकरों व ड्रमों में भरे केमिकल्स व पैट्रोलियम पदार्थों के बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में श्री जगबीर सिंह व श्री कुलवन्त सिंह द्वारा स्वयं को वाहनों व उनमें भरे उत्पाद का मालिक बताया व सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त जब्त वाहन व उनमें भरे उत्पाद को संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया गया। एक अन्य वाहन आरजे–23–जीएस–0028 को श्री दौलत सिंह द्वारा स्वयं का बताते हुये वाहन को सुपुर्दगीनामे पर रिलीज करने का निवेदन किया। परन्तु उसके उपरान्त दौलत सिंह की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीगण मौके से पैट्रोलियम पदार्थ एक टैंकर से दूसरे टैंकर में भरते हुये पाये गये तथा उन्होंने स्वीकार भी किया कि वे टैंकरों में से पैट्रोलियम पदार्थ अवैध रुप से निकालकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पैट्रोलियम पदार्थ को अवैध रुप से खरीदना व बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सपठित विलापक रेफीनेन्ट और स्लोप (अर्जन विक्रय भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपभोग का निवारण) आदेश 2000 व मोटर स्प्रीट और उच्च बैग डिजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन है। प्रकरण में जगबीर सिंह एवं कुलवन्त सिंह के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने पर उनसे संबंधित टैंकरों के मोचन (रिलीज) आदेश जारी किये जा चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट संख्या 510 आदेश दिनांक 31.07.2019 से टैंकर संख्या एचआर–38–यू–5388 व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–8539 में भरा उत्पाद तथा रिट संख्या 511 आदेश दिनांक 31.07.2019 से टैंकर संख्या आरजे–09–जीबी–5035 व टैंकर संख्या एचआर–63–सी–0401 में भरा उत्पाद भी जगबीर सिंह एवं कुलवन्त सिंह को दिया जा चुका है। चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए में जब्तशुदा सामग्री के सक्षम न्यायालय द्वारा राजसात करने का अधिकार ही प्राप्त है, ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार रिलीज किये गये वाहन एवं सामग्री को छोडकर शेष वाहनों से संबंधित बिल्टी व वाहनों के कागताज, 2 ड्रम प्लास्टिक नीला जिसमें अलग–अलग प्रकार के प्लास्टिक एदार्थ आधे भरे हुये, 2 लोहे के केन आधे भरे हुये पैट्रोलियम पदार्थ के, एक गैज, एक चाबी लोहे की, लोहे के दो किमें, प्लास्टिक पाईप करीब एक मीटर लम्बा मय लोहे के सोकेट, हरे रंग का प्लास्टिक पाईप करीब 20 फिट, दो प्लास्टिक व पांच लोहे के काली ड्रम, वाहन संख्या आरजे–23–जेएस–0028 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR